मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-नवम्बर, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 9 नवम्बर, 2006 (कार्तिक 18, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन उल्लेख

श्री शिवलाल वेदिया, भूतपूर्व सदस्य विधानसभा के निधन का उल्लेख.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (संशोधन) अधिनियम, 1997 (क्रमांक 28 सन् 1997) की धारा 3 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. आई.एम.पी.वर्मा, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, आरिफ अकील, सदस्य, उज्जैन के माधव कालेज के प्रोफेसर की छात्र संघ चुनाव के दौरान मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) डॉ गोविन्द सिंह, सदस्य, सम्राट अशोक सागर परियोजना, विदिशा एवं जल संसाधन संभाग, राजगढ़ द्वारा पाइप खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया), सदस्य, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा प्राध्यापकों की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले में राजघाट बांध परियोजना की नहर टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले में सड़क निर्माण हेतु ठेकेदार द्वारा अवैध उत्खनन किये जाने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य, इंदौर जिले के मानपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री राजेन्द्र कुमार सिंह, घनश्याम सिंह, बंशमणि प्रसाद वर्मा, सदस्य, सतना नगर निगम द्वारा फ्लाई केचर खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बंद किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री हरवंश सिंह, सदस्य, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के तहत पदस्थ समन्वयकों की सेवाएं समाप्त किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री घनश्याम सिंह, सदस्य, दतिया जिले में सूखे से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री रामनिवास रावत, सज्जन सिंह वर्मा, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, उज्जैन स्थित सिंथेटिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को वेतन न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पवई क्षेत्र के राजस्व भूमि पर हो रहे उत्खन्न को वन विभाग द्वारा रोके जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, भोपाल स्थित मंत्रालय की सत्कार शाखा से कैश बुक की चोरी होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री सज्जन सिंह वर्मा, राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य, होशंगाबाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैक में अपात्र व्यक्ति की नियुक्ति किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम आलमपुर में डकैतों द्वारा लूट-पाट कर हत्या किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) श्री दिग्विजय सिंह,डॉ. गोविन्द सिंह,सदस्य, अशोक नगर में निर्दोष छात्रों को गिरफ्तार किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री आरिफ अकील,डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत, सदस्य, रायसेन जिले के मंडीदीप क्षेत्र में जहरीली गैस के रिसाव से कई व्यक्तियों की मौत होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री उम्मेद सिंह बना,सदस्य, जौरा क्षेत्र में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री आरिफ अकील,सुखदेव पांसे, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, भोपाल के कमला नगर थानांतर्गत मादक पदार्थों की बिक्री होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सीधी जिले के अनेक ग्रामों में विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, भिण्ड जिले में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) सर्वश्री रामनिवास रावत,दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर जिले में सिचाई हेतु पानी न मिलने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) श्री लाखन सिंह बघेल, सदस्य, करेरा जलप्रदाय आवर्धन योजना कार्य में अनियमितता होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री अंतर सिंह दरबार, सदस्य, धार जिले के पीथमपुर क्षेत्र में आटो टेस्टिंग हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) डॉ.गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के प्रभारी उद्यान सहायक संचालक द्वारा धनिया बीज के प्रदर्शन में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के अंतर्गत राजघाट परियोजना की भांडेर नहर प्रणाली के तहत पानी न छोडे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य, श्योपुर विधान सभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) डॉ. आई. एम.पी. वर्मा, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री आरिफ अकील, सदस्य, दतिया जिले के सिंध नदी में अचानक आई बाढ़ से कई लोगो की डूबने से हुई मौत की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) सर्वश्री हरवंश सिंह, इन्द्रजीत कुमार, सुखदेव पांसे, सदस्य, बालाघाट जिले के बैहर निवासी युवक द्वारा पुलिस प्रताडना से तंग होकर आत्महत्या किये जाने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य, मुरैना जिले की कई ग्रामों में विद्युत तार चोरी होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, उज्जैन के फ्रीगंज में मां- बेटी की हत्या होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री आरिफ अकील, डॉ. सुनीलम्, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम बनियानी में एक महिला के सती होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) सर्वश्री बंशमणि प्रसाद वर्मा, रामलखन शर्मा, इन्द्रजीत कुमार , सदस्य, अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा अंतर्गत कोयला खदान धसने से श्रमिकों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री निशिथ पटेल, सदस्य, नीमच जिले में विद्युत संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, ग्वालियर जिले के घाटी गांव के सेन्ट्रल बैंक में लूट की घटना होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री आरिफ अकील, सदस्य, भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा कालोनियों के खुले स्थानों का आवंटन किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री मनमोहन शाह बट्टी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, कटनी जिले में अवैध उत्खनन होने की ओर राज्यमंत्री खनिज साधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के पिपरिया-बरेली मार्ग पर स्थित मच्छवास नदी में ट्रक के गिरने से कई यात्रियों की मौत होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्रीमती अर्चना चिटनिस, सदस्य, बुरहानपुर जिले की सहकारी सूत मिल बहादुरपुर को बंद किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(40) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, नागदा स्थित गुरुद्वारा श्री गुरुसिंघ सभा के अध्यक्ष पर प्राणघातक हमले के अपराधी न पकड़े जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

-3-

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य, भोपाल नगर निगम सीमा अंतर्गत ग्राम सेवनिया गोंड (वार्ड क्र. 31) के नागरिकों को आवासीय पट्टा दिलाये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य, मुरैना जिले के -

(क) ग्राम गुढ़ा चम्बल को कटाव से बचाये जाने,

(ख) ग्राम देवगढ़ में नहर रोड से पुराना पुलिस थाना तक सड़क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने,

(ग) मजरा भगवान सिंह के पुरा से भैदपुरा तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम हरचन्द बसई से पिढ़ावली तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ङ) ग्राम लोहा बसई में पटेल के मकान से बघेल मुहल्ला तक कंक्रीट रोड बनाये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -

(क) पर्यटन स्थल ओरछा स्थित रायप्रवीण महल के बगीचे में फलदार एवं फूलदार वृक्ष लगाये जाने,

(ख) पर्यटन स्थल ओरछा से ओरछा तिगेला तक सड़क एवं पुलियों का चौड़ीकरण कराये जाने, तथा

(ग) ओरछा अभ्यारण्य एवं वन क्षेत्र के चारों तरफ बाड़ लगाये जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के ग्राम कल्दा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(5) श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम सबलपुरा स्थित शराब कारखाने के अपशिष्ट से नर्मदा नदी को दूषित होने से बचाये जाने, एवं

(6) पं. हरिचरण तिवारी, सदस्य, राजगढ़ जिले के -

(क) ग्राम मोरपीपली में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने,

(ख) ग्राम अमरगढ़ किला में हाईस्कूल प्रारम्भ कराये जाने,

(ग) ग्राम सुआहेड़ी से महुआवे तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम पपडेल से ग्राम भूमरिया होकर राजस्थान की सीमा तक सड़क का नवीनीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने, तथा

(ङ) ग्राम सिन्दुरिया से आगरा-बाम्बे रोड तक सड़क का नवीनीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

7. कृषि मंत्री का वक्तव्य

चौधरी चन्द्रभान सिंह, कृषि मंत्री, दिनांक 25 मार्च, 2003 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्रमांक 5721) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विधान मंडल सदस्य निरर्हता निवारण (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 26 सन् 2006) पर विचार किया जाय. — **1 घन्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, 2006 (क्रमांक 27 सन् 2006) पर विचार किया जाय. — **1 घन्टा**

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि. — प्रदेश में चिकुनगुनिया, मलेरिया, पीलिया, डेंगू बुखार आदि संक्रामक बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री मनमोहन शाह बट्टी, आरिफ अकील, सुखदेव पांसे, रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री सज्जन सिंह वर्मा, श्री सत्यदेव कटारे, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक 8 नवम्बर, 2006